भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *125

उत्तर देने की तारीखः 09.12.2025

विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के अधिकारों का वंचन

***125. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय देश में सबसे पिछड़े समुदाय हैं जिनके पास न तो भूमि है और न ही घर और जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण इन समुदायों के लोग जाति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह समुदाय आरक्षण के लाभों से पूरी तरह वंचित रह जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के अधिकारों का वंचन" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *125, जिसका उत्तर दिनांक 09.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों को जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा जारी किए जाते हैं और वे तदनुरूप आरक्षण के हकदार होते हैं।

(ग): विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास और कल्याण के लिए एक योजना नामत: विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम (सीड) इन समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

(i) शैक्षणिक सशक्तिकरणः विमुक्त जनजाति (डीएनटी) उम्मीदवारों को अच्छी क्वालिटी की कोचिंग देकर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने लायक बनाना;
(ii) स्वास्थ्य: डीएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान करना;
(iii) आजीविका: डीएनटी समुदाय संस्थानों के छोटे समूहों का निर्माण करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समुदाय के स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना।
(iv) भूमि और आवासन: डीएनटी समुदायों के सदस्यों को गृह के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

उपर्युक्त के अलावा, विभाग निम्नलिखित योजनाएं भी क्रियान्वित करता है जो डीएनटी समुदायों को समर्थ बनाती है:

i. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
ii. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
iii. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए टॉप क्लास स्कूली शिक्षा

iv. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए टॉप क्लास कॉलेज शिक्षा

v. अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस)।
